उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

सोमवार, 11 बैशाख, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 01 मई, 2017)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ ''वन्दे मातरम्'' (देखिये नत्थी ''**क**'')।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)

3. निधन के निदेश।

4. सचिव, विधान सभा सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 152 (2) के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :—

   (1) उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का प्रथम अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन), विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का द्वितीय अधिनियम बन गया।

   (3) श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का तृतीय अधिनियम बन गया।

   (4) क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2017 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

7. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हुर्री, क्यार्क, बार्सू, अगोड़ा, दंदालका आदि गांव की

   आपदा के खतरे के कारण सुरक्षा हेतु विस्थापन किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री विनोद नेगी ग्राम– हुर्री पो0 सुनगर, जनपद–उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ''जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के दयारा, गिडारा, जौराई, कुशकल्याण, बुग्यालों के शिविर गांवों में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सोबत सिंह राणा, ग्राम व पो0 रैथल, जनपद-उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ''जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पॉलिटैक्निक उत्तरकाशी को व्यवसायिक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री मनीष पयाल, निवासी बगसारी पोस्ट पिपली, डुंडा, जनपद-उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

14. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करेंगे।

15. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

16. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करेंगे।

17. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**''ग'**)

18. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

19. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

20. सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय।

21. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

देहरादून :
दिनांक : 30 अप्रैल, 2017

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शष्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

द्वितीय सत्र, 2017
का प्रथम सोमवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

सोमवार, 11 बैसाख, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 01 मई, 2017)

नत्थी ''ख''

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 21.03.2017	*01. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए क्या सरकार कोई ठोस योजना बना रही है? यदि हां तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?	**स्वास्थ्य**
श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी 23.03.2017	*02. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कतिपय राजकीय चिकित्सालयों का संचालन पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत दिया गया है? यदि हॉ तो इन चिकित्सालयों का विवरण क्या है तथा इन चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के कौन–कौन तथा कितने–कितने पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पदो के प्रति कितने–कितने चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक कार्यरत है? क्या यह भी सत्य है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन भी पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत दिया गया है? यदि हॉ तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण क्या है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के अधिकांश पद रिक्त चले आ रहे है जिसके कारण इस स्वास्थ्य केन्द्र से प्रदत स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ स्थानीय जनमानस को नहीं मिल पा रहा है? यदि हॉ तो इस स्वास्थ्य केन्द्र को पी0पी0पी0 मोड में दिये जाने का औचित्य एवं उद्‌देश्य क्या है?	**स्वास्थ्य**

नत्थी–"ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 29 अप्रैल, 2017 की बैठक में दिनांक 01 मई, 2017 से 02 मई, 2017 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत रखे जाने की सिफारिश की है:–

मई, 2017

01 (सोमवार)	**विधायी कार्यः-** उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 के विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**
02 (मंगलवार)	विधायी कार्य।